प्रचलित विभिन्न योजनाओं के संबंध में टीप:

1. प्रणाली सुदृढ़ीकरण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना :--

इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाित क्षेत्रों में अविद्युतीकृत बस्तियों / टोले मजरों को विद्युतीकरण करने तथा उच्च गुणवत्ता पूर्ण सतत् रूप से विद्युत प्रदाय करने के लिये प्रणाली सुदृढीकरण के कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इन कार्यों के लिए म.प्र. शासन द्वारा वार्षिक राशि प्रदाय की जाती है। इसके लिये म.प्र.शासन द्वारा वर्ष 2011—12 में राशि रू. 30.00 करोड़, वर्ष 2012—13 में राशि रू. 46.99 करोड़ एवं वर्ष 2013—14 में राशि रू. 40.70 करोड़ का बजट प्रावधान है। वर्ष 2011—12 से अक्टूबर 2013 तक 33 / 11 के.व्ही. नये उपकेन्द्र—21 नं., अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर—89 नं., पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि—129 नं., 33 के. व्ही लाईन—416.97 कि.मी., 11 के.व्ही लाईन—689.46 कि. मी., वितरण ट्रांसफार्मर—1039 नं., वितरण ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि—1072 नं., निम्नदाब लाईन— 155.45 कि.मी., कुल लागत राशि रू. 154.62 करोड़ के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं।

मुख्य महाप्रबंधक (कार्य एवं योजना)